न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00346

गौरी शंकर आयु 45 वर्ष आत्मज श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरदा हाल निवासी टीचर्स कॉलोनी चित्तौडगढ रोड बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीलाल आयु 52 वर्ष आत्मज श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरदा हाल निवास वैद्यनाथ पाडा लंका गेट बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली ।
3. श्रीमान् उप पंजीयन अधिकारी महोदय, दबलाना जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भू दयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अजीत कुमार जोशी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 29.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 मांगीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की 212 के अन्तर्गत ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 442 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 441 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 441/2686 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र किया जिसमें अप्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । अप्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07

एवं आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया और कथन किया कि न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की तामील हेतु भिजवाया गया नोटिस लेकर तामील कुनिन्दा अप्रार्थी के मकान पर कभी नही आया और तामील कुनिन्दा ने अप्रार्थी को तामील नहीं करवाई है । तामील कुनिन्दा ने प्रार्थी सं सांठ–गांठ कर नोटिस सम्मन नहीं लेने के बाबत् गलत अंकन करवाया है । यदि अप्रार्थी द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा नोटिस लेने से मना किया तो दो गवाह के हस्ताक्षर करवाये जाने चाहिए थे । तामील कुनिन्दा ने किसी गवाह के कोई हस्ताक्षर नहीं कराये । तामील कुनिन्दा किस तारीख को तामील कराने गया है और कितने बजे तामील लेने से इंकार किया अपनी रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं किया है । अप्रार्थी दिनांक 13.10.2015 से 22.10.2015 तक गोमाता ठीकरदा से पूर्व उपसभापति सुरेश जिन्दल के अनुष्ठान में था तथा दिनांक 23.10.2015 से 01.11.2014 तक रामेश्वर माहदेव के अनुष्ठान में था तथा इस दौरान नवरात्रा के समय अप्रार्थी व उसके परिवारजन के व्यक्ति प्रार्थी द्वारा लिखाये गये पते पर उपलब्ध नहीं थे तो सम्मन नोटिस लेने से किसने इंकार किया । इससे भी तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट मिथ्या व फर्जी है । तामील कुनिन्दा ने केवल तामील लेने से इंकार कर देना अंकन किया है लेकिन किस व्यक्ति ने तामील लेने से इंकार किया उसका नाम तक नहीं लिखा । अप्रार्थी को कोई नोटिस सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट का परीक्षण किये बिना व तामील कुनिन्दा की साक्ष्य लिये बिना अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने में त्रुटि की है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 28.10.2015 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही व एकपक्षीय निर्णय दिनांक 29.10.2015 निरस्त कर अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश पारित किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.05.2019 के द्वारा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 442 अपीलान्ट की स्वअर्जित खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गलत अर्थ निकलाकर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.10.2015 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 29.10.2015 को एकपक्षीय रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी । एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया । उक्त आदेश की नकल हेतु प्रार्थी ने दिनांक 09.05.2019 को ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया था लेकिन कई दिनों तक निर्णय नहीं लिखे जाने के

बाबत् बताया और अपीलान्ट को नकल नहीं दी और दिनांक 31.07.2019 को नकल दी गई जिस पर नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 28.10.2015 को एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 29.10.2015 को अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । अपीलान्ट ने सुनवाई का अवसर प्रदान करते हेतु दिनांक 16.11.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया इस प्रार्थना पत्र को दिनांक 08.05.2019 को खारिज किया गया । अपीलान्ट को तामील करवाये बिना एक तरफा कार्यवाही की गई है । तामीली रिपोर्ट पर न तो गवाहों के हस्ताक्षर हैं न ही अपीलान्टगण को तामील हुई है मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर एक तरफा कार्यवाही की गई है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते की आराजी है जिस पर त्रुटिपूर्ण रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरजेटी 2008 (1) पेज 399 उद्वरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है । अपीलान्ट ने षडयंत्रपूर्वक वादग्रस्त आराजी को अपने नाम आवंटन करवाकर खाता दर्ज करवा लिया है जबकि 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट का कब्जा है । अपीलान्ट की विधि सम्मत रूप से तामील हुई थी और उनके उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा कार्यवाही की गई । मूल निर्णय के खिलाफ अपील पेश नहीं की गई है । उनका प्रार्थना पत्र जो खारिज किया गया है उसके खिलाफ अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 29.10.2015 को एक तरफा कार्यवाही की गई थी । एक तरफा कार्यवाही को निरस्त करने के लिए अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 एवं आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 08.05.2019 को खारिज किया है । अपीलान्ट को जो

नोटिस जारी किये गये हैं उसका अवलोकन किया गया । नोटिस के पृष्ठ भाग पर यह अंकित है कि आसामी मकान पर नहीं आसामी का लडका और पत्नी मिली तामील लेने से मना किया अदम तामील रिपोर्ट पेश है और उसी को तामील मानकर उनके खिलाफ दिनांक 28.10.2015 को एक तरफा कार्यवाही की गई है । तामील रिपोर्ट में स्वयं तामील कुनिन्दा ने अदम तामील की रिपोर्ट की है इसको तामील मानते हुए एक तरफा कार्यवाही की गई है । रिपोर्ट पर गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं हैं । इस प्रकरण में अपीलांट को विधि सम्मत तामील नही हुई है । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2019 त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्षीय सुनवाई कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/1/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा